

स्मृति- पर

- 1- संस्था कानूनम् :: श्री पुत्तू लाल मैमी रियल शिल्प समिति ।
- 2- संस्था का पत्रः:: ग्राम व पो० जडानगज तहसील- सदर जिला फर्लखा बाद ३ उ० प्र०
- 3- संस्था का कार्यक्रमः समृद्ध उत्तर प्रदेश द्वेरा
- 4- संस्था के उद्देश्यः-

- 1- संस्था का उद्देश्य जनता का आमाजिक, जौस्कृतिक, ईश्विक, बौद्धिक एवनात्मक, कलात्मक उन्नति का समूचित प्रधान करना ।
- 2- संस्था के कार्यक्रम में रिया का प्रचार प्रसार करना रिया के उत्तरात्तर विषय है तृनी नीरी, माण्टेतरी तथा प्राक्करी हत्तर है तैकर बृनिपर वृष्टिकूल वृष्टि स्कूल, हाटर मीडिश, आवासकाला हीने पर स्नातक तथा स्नातकोत्तर क्षात्र तक के दालक सर्व विद्यालयों के स्कूल विविध नामों से हिन्दी, अंग्रेजी उद्धृत आदि माध्यमों से क्षात्र स्नात, विज्ञान स्नात, वाणिज्य स्नात विधि स्नात, वृष्टि स्नात के विविध नामों से खालना सब उनका स्वालन करना ।
- 3- संस्था ने कार्यक्रम में पृस्तकाला, वाचनाला, छात्रावाह, छोड़ाउन्ड्रौ आदि की स्थापना करना एव उनका स्वालन करना ।
- 4- संस्था के कार्यक्रम में महिलाओं सब छोड़ाउरों को आत्म निर्भर बनाने हेतु लिंग, कढ़ाई कठाई बुनाई, प्रौद्योगिकावेन्ड्रौ, अनौपचारक रियावेन्ड्रौ अंगनवाड़ी, वालवाड़ो वेन्ड्रौ, छालीन बुनाई केन्ड्रौ, पैण्डिग रियावेन्ड्रौ आरवती, मौमधतोबनाना, वृष्टिशिल्प रियावेन्ड्रौ, फौमधिं बनाना ऐडियो, घड़ी, टो० व०० दैनिकहाटरों अनुष्ठ इतिहासित उपकरणों से प्रशिक्षणावेन्ड्रौ ली स्थापना करना एव उनका स्वालन करना ।
- 5- प्रधानिणा कुपार कार्यक्रमों, प्रदूषण नियन्त्रण टोकाकरण, जन शिपानियन्त्रण प्रचार प्रसार कार्यक्रमों, संस नियन्त्रण एव जागरूकता कार्यक्रमों, नैशिविरो पलस्पोलियो कार्यक्रमों, नशामुकित कार्यक्रमों स्वास्थ विभाग के कार्यक्रमों के संरक्षण का स्वालन करना एव कार्यक्रमों का स्वालन करना ।
- 6- पंचायती राज विभाग की वैज्ञानात्रों का स्वालन करना ।
- 7- ग्रामीण एव शहरी स्वपूर्ण स्वच्छता कार्यक्रमों का स्वालन करना ।
- 8- राष्ट्रीय वागवानों कोई एव उद्यान विभाग की वैज्ञानात्रों एव कार्यक्रमों का स्वालन करना ।
- 9- संस्था के कार्यक्रम से सामाजिक, जौस्कृतिक, ईश्विक कार्यक्रमों का आयोजनकरण देवीष आपदाओं परे जैव बाढ़ पौधितों, सूखापोषितों, मूँग परीडितों, तूफान पीडितों एव स्वायता करना ।
- 10- संस्था के कार्यक्रम में कपाट डबाकरा, कुड़ाका, डूड़ा, द्रावोम, डी और० डी ए० नवाह अपाई, झिल्ती, मछिला एव बाल विकास विभाग, मछिला कलधारा विभाग रिया पौधाकर विभाग मानव तंत्रालय विकास मन्त्रालय भवत तरकार लालारा भन्त्रालय नैडल रौजार वैज्ञाना स्वर्ण जटनीरोजार एव वैज्ञाना के कार्यक्रमों का स्वालन करना ।
- 11- संस्था के कार्यक्रम में अनाव जलम, विध्वान जलम लूटजलम, आदि की स्थापना करना एव उनकी व्यापता करना ।

ग्रुणालालाकर्मी

रामेश्वर

ज० मोर्टारिं

जैमपाल

गोरुमा

आकोरुमा

5- प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों एवं अवस्थों के नाम, पता, पद एवं व्यवसाय जिन्हें
संस्था के नियमानुसार यार्थ भार सौंपा या है :-

३० लं० नाम पिला/पतिकानाम पता

पद व्यवसाय

१।४ श्री यदुनन्दनलालवर्मा	श्रीरामदयालवर्मा	ग्राम कन्तूखेड़ा पो० ऊँचागाँव हरदोई अध्यक्ष मिठाक
२।४ श्री संजीव कुमार	श्री अतर सिंह	ग्राम महूदापुर पो० जरारीफर्खाबाद उपाध्यक्ष
३।४ श्रीरामसेवकराजपूत	श्री पुत्तूलाल	ग्राम कछोनापुर पो० जहानगंज प्रबन्धक/मन्त्री
४।४ श्री जगमोहन सिंह	श्री परशुराम	कराली पो० रक्षीपुर फर्खाबाद उपप्रबन्धक
५।४ श्री ओमपाल	श्री तिवाराम	बनोई पो० सक्वाइं पर्खाबाद कोषाध्यक्ष कृष्ण
६।४ श्रीमनोज कुमार	श्री आत्माराम	ग्राम जहानगंज पो० जहानगंज
		जनपद फर्खाबाद सदस्य
७।४ श्री आलोक कुमार	श्री श्याम लाल	ग्राम कछोनापुर पो० जहानगंज सदस्य
		जनपद फर्खाबाद

६।४ हम निम्न उत्ताधरकर्ता घोषित करते हैं कि हमें इस स्मृतिपत्र एवं नियमावली के अनुसार
तांत्राइटीज रजिस्टरिंग नियम एवं प्रधारा २। सन् १८६० के अन्तर्गत पंजीकृत बताना चाहते हैं।

दिनांक

उत्ताधर

१।४ यदुनन्दन लाल वर्मा	कन्तूखेड़ा पो० ऊँचागाँव हरदोई	यदुनन्दनलालवर्मा
२।४ श्री संजीव कुमार	महूदापुर पो० जरारी	संजीवकुमार
३।४ श्री राम सेवक राजपूत	कछोनापुर पो० जहानगंजपर्खाबाद	रामसेवकराजपूत
४।४ श्री जगमोहन सिंह	कराली पो० रक्षीपुर	जगमोहनसिंह
५।४ श्री ओम पाल	बनोई पो० सक्वाइं	ओमपाल
६।४ श्री मनोज कुमार	ग्राम ब पो० जहानगंज पर्खाबाद	मनोजकुमार
७।४ श्री आलोक कुमार	कछोनापुर पो० जहानगंज पर्खाबाद	आलोककुमार

नियमावधी

- 1- सत्था का नाम :: श्री पुराण लाल मैमोरियल शिक्षा समिति ।
- 2- सत्था का शब्दांशः ग्रामव पौर जहानगंज तहसील सदर जिला फर्रुखाबाद ३० प्र०४
- 3- सत्था का कार्यक्रम समस्त उत्तर प्रदेश होगा
- 4- सत्था के उद्देश्य:- नमूतिपत्र के अनुसार होंगे ।
- 5- सत्थाको सदस्यता तथा सदस्यों के बारे :-

कोई भी महिला/पुरुष जो उम्र में वालिंग हो तथा इस सत्था के नियमों का पालन करने को तैयार हो तथा उद्देश्यों में आस्था रखते हो वे इस सत्था के सदस्य प्रबन्धक/मन्त्री द्वारा बनाए जाएंगे। प्रबन्धक/मन्त्री को प्रबन्धक/सदस्यवर्गीय अधिकार देते हो इस सत्था के अधिकारी द्वारा इसमें अधिक मूल्य की ओर उत्तराधिकारी द्वारा अनुसन्धान अद्वा करेंगे।

- अ- आजीवन सदस्यः जो उपक्रित इस सत्था को ५०००=०० रुपये सक्षम हो तथा इस सत्था के अधिकारी द्वारा इसमें अधिक मूल्य की ओर उत्तराधिकारी द्वारा अनुसन्धान सदस्य बनाए जाएंगे।
- ब- विशिष्ट सदस्यः जो उपक्रित समाजसेवी सरल द्वारा समानित स्वातंत्र्य प्राप्त होते हैं वे इस सत्था के विशिष्ट सदस्य बनाए जाएंगे। सदस्यता शुल्क ने मुक्त होते हैं अधिकारी नहीं होते। एकवर्ष के लिए ही मनोनीत किये जाएंगे।

- स- सामान्य सदस्यः जो उपक्रित इस सत्था को १००=० रुपार्थक सदस्यता शुल्क के रूप में अद्वा करेंगे वे इस सत्था के सामान्य सदस्य बनाए जाएंगे।

- 6- सदस्यता की समाप्ति : मृत्यु होनेपर, पाल होनेपर, दिवालिया होनेपर किसी न्यायालय द्वारा अनैतिक अपराध में दण्डित होनेपर, सत्था का नियायालय सदस्यता शुल्क समय से न जमा करनेपर, सत्था की लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थिति रहनेपर, अविश्वास का प्रत्यावर पारित होनेपर त्यागपत्र स्वीकृत होनेपर सदस्यता स्वतः द्वीप समाप्त हो जाएगी। दैप सदस्यता शुल्क वापस नहीं होता और न ही सदस्यता का रूपेम छह माह होता है।

- 7- सत्था के अंग :

खाती वसुन्धरा

- a- साधारणा तथा
- b- प्रबन्धकारिणी समिति

- 8- साधारणा तथा - गठन: सत्था के आजीवन, विशिष्ट, सामान्य सदस्यों को मिलाकर साधारणा तथा का गठन किया जाएगा।

- ब- बैठकः - साधारणा तथा को सामान्य बैठके पर्व में एक होगा तथा विशेष बैठके आवश्यकता अनुसार सदस्यों को सूचना देकर किसीभी समय बैठक हो जाएगी।

- स- सूचनावधि - सामान्य बैठकों को सूचना सदस्यों को १५ दिन पूर्व तथाविशेष बैठकों की सूचना सदस्यों को ३ दिन पूर्व दी जाएगी।

- द- गणापूर्ति - गणापूर्ति के लिए कुल सदस्यों में २/३ उपस्थिति सदस्यों का कोरम होगा कोरम के अभाव में दो बैठके स्थागित हो जाती है तो पुनः छालाई गई बैठकों के लिए कोरम की कोई अवश्यकता न होगी।

- ए- विशेष वार्षिक अधिकारी तिथि -

सत्था का विशेष वार्षिक अधिकारी प्रतिवर्ष हजार रुपया वित्ती

लिखि तत्त्वा की प्रबन्धाभिति तथा करेगी ।

ए- साधारणता के अधिकार सद्वकार्य:

१- सत्या के प्रबन्धाभिति का बुनाव करना।

२- सत्या के वार्षिक आय एवं बजट व वार्षिक कार्डिनों की रिपोर्ट को को स्वीकृत करना।

३- सत्या के नियमों एवं विनियमों में सामीक्षन परिवर्तन परि र्थन करना।

४- सत्या के प्रबन्धाभिति द्वारा पारित प्रत्याख्यों का अनुमोदन करना।

२- प्रबन्धकारिणी समिति :

३५३ गठन:- साधारण सभा में स्वेच्छामत पा गुप्तमतदान पा बुनाव प्रक्रिया पा हाथ उठाकर प्रबन्धकारिणी समिति द्वा गठन होगा। प्रबन्धकारिणी समिति में एक अधिकारी एक उपाधिका एक प्रबन्धक/मन्त्री एक कार्यालया एक उपप्रबन्धक तथा शेष २ सदस्य होंगे। प्रबन्धकारिणी समिति की संख्या ७ है १५ तक जो आवश्यकता अनुसार बढ़ाई पा घटाई जा सकती है प्रबन्धसमिति के

पदाधिकारी ही साधारण सभा त सचालित छाई, वे पदाधिकारी होंगे।

प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठके बीच में एक होगी तथा विशेष

बैठके आवश्यकता अनुसार सदस्यों को सूचना देकर किसी भी समय

अधिका के अनुमोदन पर प्रबन्धक/ मन्त्री द्वारा बुलाई जावेगी।

३५४ सूचनाभवधि- सभा में बैठकों की सूचना सदस्यों ७ दिन पूर्व तथा विशेष

बैठकों की सूचना सदस्यों को २४ घण्टे पूर्व दी जावेगी।

३५५ गणपूर्ति : गणपूर्ति के लिए कुल सदस्यों में २/३ उपस्थिति सदस्यों का कोरम होगा। कोरम के असाधि में दो बैठके स्थानित हो जाती है तो पुनः बुलाई गई बैठकों के लिए कोरम की कोई आवश्यकता न होगी।

३५६ विवेकता स्थानों की पूर्ति : प्रबन्धकारिणी समिति के अन्तर्गत कोई भी आकास्माक स्थान दिक्षित होनेपर उस स्थान की पूर्ति साधारण सभा के बैठकों में दोनों वार्षिक बैठकों के लिए कर ली जावेगी।

३५७ प्रबन्धकारिणी समिति के अधिकार सद्वकार्य:

१- सत्या के उन्नतिएवं विकास हेतु कार्य करना।

२- सत्या के वार्षिक आय एवं बजट व वार्षिक कार्डिनों की रिपोर्ट को तैयार करना।

३- सत्या के विवादों को सुलझाना।

४- सत्या के तथालन हेतु नियम उपनियम बनाना उपसमितियों द्वारा नीति निर्धारित करना।

५- सत्या के अधिकार वा अधिकार त-परिवत की विधा करना। प्राप्त करना।

६- सत्या के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार तथा कल्पाणा विभाग, शिक्षा विभाग, नागरिकों वित्ततीय सत्याओं व सत्याओं बैठक, अन्य सरकारी विभागों द्वारा, अनुदान, घन्दा इत्य

स्था व अक्षा सम्पर्क आदि प्राप्त होगा ।

कार्यकाल - प्रबन्धकारिणी समिति का कार्यकाल 5 घण्टे का होगा ।

१०- प्रदायिकारियों के अधिकार स्वरूपः

अधिकारी १- स्थान को और हैंडलों की अधिकारता देना ।

२- हैंडलों के लिए दिनांकों का अनुमोदन करना हैंडलों को मुनाफा तथा स्थागितकरना ।

३- किसी विषय पर समान मत आनेपर अपना एक नियामिक मत देना ।

४- स्थान के विकास हेतु कार्य करना ।

उपाधिका - अधिकारी की अनुपस्थिति में उनके कार्यों को करना सामान्य स्थिति में उनका सहायता करना ।

प्रबन्धक/मन्त्री १११ स्थान का मूँछ प्रशासनिक प्रदायिकारी होगा ।

प्रबन्धक/सचिव १२२ स्थान की ओर हैंडलों का अधिकार जो संपन्न हो उनको उपवस्था करना ।

१३३ स्थान की ओर हैंडलों का प्रबन्ध का पत्र उपवस्था करना ।

१४४ स्थान की हैंडलों की कार्यवाही निखारा लियकर करना मुनाफा तथा कार्यकारी का प्रशासन करना ।

१५५ स्थान की अदानती कार्यवाही करना ।

१६६ स्थान के अभिलेख तैयार करना ।

~~प्राक्तन लालकुमा~~ १७७ स्थान के द्वारा नियामित विधायियों में प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या

अध्यापक/अध्यारिकाओं कर्मचारियों कार्यकर्ता भी कार्यालये

लियक घटाती आदि ली नियुक्ति नियकासन, पदोन्नति, पदचयूत करना वेतन शेषी कर्मचारियों का वेतन तथ करना व मुक्तान करना ।

१८८ सम्मत है स्टाफ की घटित पञ्जिकाये रखना उनमे कार्य के आधार पर अनुकूल एवं प्रतिकूल प्रविष्ट करना कारण वतानोटिस जारी करना प्रथक पा निलम्बित करना ।

१९९ स्थान के गदर्घों से सदस्यताशुल्क ऐना व रसीद देना अन्य घराजियों प्राप्त करना ।

२०० स्थान के चल व अचल सम्पत्ति की सुरक्षा करना हस्तान्तरण किराये फटे पर लैवे देने स्थिति प्रपत्रों दस्तावेजों, शानिमों छेनामों आदि पर हस्ताक्षर करना ।

२११ स्थान के विकास हेतु कार्य करना ।

उपप्रबन्धक : प्रबन्धक/मन्त्री प्रबन्धक/सचिव ने अनुपस्थिति में उनके कार्यों को करना सामान्य स्थिति में उनका सहयोग करना ।

कोषाधिका ११२ स्थान के आधिकारिय को जैखा जौखा रखना ।

१२३ स्थान के कोषि संबंधी अभिलेख देवार करना ।

१३४ स्थान के प्रबन्धक/मन्त्री द्वारा हस्ताक्षित विल बाउचरों का भुगतान करना ।

- 11- स्थान के निम्नों स्व विनियमों में स्थान प्रक्रिया- स्थान के निम्नों स्व विनियमों में स्थान परिवर्तन परिवर्तन 2/3 बहुमत ते तोताइटीज रजिस्टरिंग अधिनियम कीधारा

12 के अनुसार साधारण स्था की बैठकों में किये जाएंगे ।

12- स्थान का कौष स्थ आय है अति- स्थान का स्थान कौष किसीभी बैठक पा पोस्ट अफिस मे स्थान केनाम है खाता खोलकर ज्ञा किया जाएगा स्थान के खाते का सचान प्रबन्धक/मन्त्री शृङ्गप्रबन्धक/संविष्ट एवं कौषायका के संयुक्त हस्ताक्षरों ते कियाजायेगा स्थान के द्वारा सचालित विभागों के खाते किया जाएगा के निम्नानुसार प्रबन्धक/मन्त्री हस्ताक्षरों मे किया जाएगा , प्रबन्धक/मन्त्री कोहीप्रबन्धक/संविष्ट का जारीगा।

उद्देश्यों की पूर्ति के लिए केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, समाज कल्याण विभाग , शिक्षा विभाग, नागरिकों वित्तीय स्थानों स्थानों बैठकों, बपाई, ईवाकरा, डिप्लोम, डॉक्टर, ड्राइवर, डॉ.आर०डौ०स० नवाई अवाई, फ़िल्मी, महिला एवं बाल विकास विभाग अथवा सरकारी विभागों मे दान, अनुदान, चन्दा अण का ए अचल तपारित आदि प्राप्त करेंगी सदस्यों से सदस्यत शुल्क व चन्दा आदि लेंगे ।

13- स्थान के आय व्यवहार वैखापरोध आईट - स्थान के आय व्यवहार का वैखापरोध आईट प्रतिवर्ष स्थानपाल किसी और व्यवहारित आईटर पा चार्ट रजिस्टरेन्ट द्वारा घराया जाएगा ।

14- स्थान के द्वारा अथवा उसके विश्व अदालती कार्यवाही के सचालन राज्यतारदावेवत्व स्थान द्वारा होने वाली अदालती कार्यवाही के सचालन कीपैरटी प्रबन्धक/मन्त्री द्वारा कोजारेंगी अथवा उनके द्वारा अधिकृत व्यक्ति एवं नियंत्रित द्वारा को जाएगी ।

15- स्थान के अभिलेख 1- स्थान रजिस्टर
2- कार्यवाही रजिस्टर
3- एजेंड रजिस्टर
4- सदस्यत एसीटबुक
5- लैजर कैशबुक
6- अन्य अभिलेख जो आवश्यकता होगी रखे जाएंगे ।

16- छिप्टन:- स्थान के विष्टन और विष्टित कर्पाति के कार्यस्था विस्तरण ली कार्यवाही तोताइटीज रजिस्टरिंग अधिनियम कीधारा 13 व 14 के अन्तर्गत ली जाएगी ।

स्वर ध्युतिसिपि

ਫਰੀਦਾ ਪੁਰ

दिनांक

ମୁଦ୍ରା ପରିଚାଳନା କୌଣସିକୀ

2. *Acacia* *hirta*